

खबर का असर!!!

जेडीएने बिल्डर समेत 7 जनों के विरुद्ध

दर्ज करवायी एफआईआर!!!

F.I.R.

विशेष रिपोर्ट-6

**भूखंड संख्या 14,15,16 कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने,जगतपुरा
पर बन कर तैयार हो चुकी अवैध इमारत
"विशाल याशिका हेव्स" का मामला!!!**

कानून से खिलवाड़ कर,जेडीए के ज़ोन-9 मे स्थित भूखंड संख्या 14,15,16, कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा पर बन रही अवैध बिल्डिंग विशाल याशिका हेवंस के मालिको और फ्लेटधारकों समेत कुल 7 जनो के विरुद्ध जेडीए ने दर्ज करवायी एफ़आईआर!!!!

यह मामला जेडीए के ज़ोन 9 मे स्थित भूखंड संख्या 14,15,16, कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा पर बन रही अवैध बिल्डिंग विशाल याशिका हेवंस का है जिस पर बिना जेडीए की स्वीकृति,बिना नक्शे पास करवाए,बिना भूखंडो को पुनर्गठित करवाए,बिना सेटबैक छोड़े,बिना रेरा मे रेजिस्ट्रेशन करवाए 5 मंज़िला इमारत का निर्माण हो चुका है।जेडीए के अनुसार इस बिल्डिंग मे 44 फ्लेटो का निर्माण किया गया है।

इस अवैध बिल्डिंग को लेकर कई घटनाक्रम हुए,बिल्डर द्वारा स्टे के बावजूद निर्माणकार्य जारी रखा और इस बिल्डिंग मे अवैध रूप से फ्लेट बना कर,बेचान भी कर दिया गया और वहाँ पर जबरन बसावट भी कर दी गयी जिसके चलते कई फ्लेटधारकों को कब्जे भी दिलवा दिये गए।बिल्डर की इस नापाक हरकत से हमारे द्वारा लगातार जेडीए के अधिकारियों को चेताया गया,जिसका परिणाम यह हुआ कि जेडीए द्वारा इस बिल्डिंग के मालिको समेत 7 जनो के विरुद्ध दिनांक 14/11/2021 को स्थानीय रामनगरिया ठाणे मे आईपीसी की धारा 353 के तहत राज कार्य मे बाधा और आईपीसी की धारा 120-B के तहत आपराधिक षडयंत्र करने का मामला दर्ज करवाया है।जेडीए द्वारा विशाल शर्मा,रोहित शर्मा,मनोज शर्मा,ओमप्रकाश,किरण,रेणु और रजनी कपायी के विरुद्ध यह मामले दर्ज करवाए है।